

# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/08/2022  
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/30

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट कोर्ट कैम्पस, बहरोड, जिला-अलवर(राज.)-301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर


प्रवेश तिथि :: 31.01.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
निर्णय

दिनांक: 12.04.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 22.12.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर संभागीय आयुक्त, जयपुर के पत्र सं. 574 दिनांक: 20.09.2021 के अनुसरण में की गई कार्यवाही एवं प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन स्थापन अनुभाग, कलक्ट्रेट, अलवर द्वारा जारी पत्र सं. 8136 दिनांक: 05.10.2021 के अनुक्रम में उपखण्ड अधिकारी बहरोड से प्राप्त जॉच रिपोर्ट आदि संबंधी बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयवधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 24.01.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब अप्राप्त रहा और ना ही कोई सुनवाई हेतु उपस्थित ही हुआ।
6. अतः उक्त आलोक में अपील स्वीकार की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 22.12.2021 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत-पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतिव्रित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांक: 12.04.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



  
(नन्नुमल पहाड़िया)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर